

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 37/ 2017

श्रीराम पुत्र नोरंगराम उम्र वर्ष जाति कुम्हार निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

वादी

बनाम

- 1 गणेशाराम पुत्र नोरंगराम जाति कुम्हार निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 सावित्री देवी पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 जगदीशचन्द पुत्र दीपाराम जाति कुम्हार निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

- 1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (वादी)
- 2 श्री विनोद जाखड़ प्रतिवादी संख्या 1 व 3
- 3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट निर्णय


दिनांक :- 17.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद वादीगण एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 1 व 3 स्वीकार किया जाकर जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर से वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की आराजी के कब्जा काश्त के सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव मुकर्रर हुई बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादी एव प्रतिवादीगण ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस के आधार पर वाद वादी एवं काउन्टर क्लैम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी एवं काउन्टर क्लैम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:-

(2) चक 14 के एस डी खाता संख्या 65/55 मु.न. 52 कि.न. 3 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता, कि.न 4 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता, कि.न 5 में 0.216 है. नहरी, 0.022 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.018 है. नहरी, कि.न. 7 में 0.018 है. नहरी, कि.न 8 में 0.018 है. नहरी कुल 0.798 है. नहरी मय



गै.मु. आराजी का वादी श्रीराम पुत्र नौरंगराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(2) चक 14 के एस डी खाता संख्या 65/55 मु.न. 52 कि.न. 5 में 0.012 है. नहरी, 0.003 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.235 है. नहरी, कि.न 7 में 0.235 है. नहरी, कि.न. 8 में 0.235 है. नहरी, कि.न. 13 में 0.127 है. नहरी, कि.न. 14 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 15 में 0.127 है. नहरी कुल 1.110 है. नहरी मय गै.मु. आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 गणेशाराम पुत्र नौरंगराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(3) चक 14 के एस डी खाता संख्या 65/55 मु.न. 52 कि.न. 13 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 14 में 0.127 है. नहरी, कि.न. 15 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 16, 17, 18 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.138 है. नहरी आराजी का प्रतिवादी सं. 3 जगदीशचन्द पुत्र दीपाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार ही वादी एव प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Eamla*  
17.2.2020  
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सादुलशहर

